(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सं. एल. टी. 2695/99]

(v) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए इंडियन काउंसिल फार फिलॉसफिकल रिसर्च, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त काउंसिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सं. एल. टी. 2688/99]

(vi) 1997-98 के वर्ष के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रंडी एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी हतिया, रांची के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए सं. एल. टी. 2685/99]

Notification of the Ministry of Petroleum and Natural Gas

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): महोदय मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (3) के खण्ड 6 के अधीन मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 को प्रकाशित करने वाली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 772(अ) दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभापटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सं. एल. टी. 2654/99]

Report and Accounts (1997-98) of the Electronics Corporation of India Limited, Mumbai and Related Papers

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): महोदय, मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(क) 1997-98 के वर्ष के लिए इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., मुम्बई का इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सं. एल. टी. 2547/99]

II. ऊपर (I) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए सं. एल. टी. 2700/99]

I. **Report and Accounts (1994—96) of the U.P. Projects and Tubewells Corporation Limited, Lucknow and Related Papers.**

II. **Report and Accounts (1997-98) of the National Federation of Fishermen's Cooperatives Limited, New Delhi and Related Papers.**

श्री सोमपाल: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

I. (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(क) 1994-95 के वर्ष के लिए यू. पी. प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवैल्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) 1995-96 के वर्ष के लिए यू. पी. प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवैल्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्ष की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण। (2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। (1) और (2) के लिए देखिए सं. एल. टी. 2701/99]

II. निम्नलिखित पत्रों को एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):- (क) 1997-98 के वर्ष के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ फिसरमैन्स को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित। (ख) उपर्युक्त फेडरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। (ग) ऊपर (क)